न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय
आर०ए०एस०

वाद संख्या :- 9/2018.

उनवान

1. छीतर पुत्र कानाराम
2. जगदीश पुत्र कानाराम / जाति गुर्जर निवासी ढाणी बड़ाणा वाली तन खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

....वादीगण

बनाम

1. कमली देवी पुत्री कानाराम पत्नि सूआराम जाति गुर्जर निवासी मामटोरी तहसील शाहपुरा
2. सन्ती देवी उर्फ शान्ति देवी पुत्री कानाराम पत्नि प्रभात जाति गुर्जर निवासी मामटोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)
3. मूलचन्द पुत्र नन्दाराम
4. फूलचन्द पुत्र नन्दाराम
5. पप्पू पुत्र नन्दराम
6. राजू पुत्री नन्दराम
7. सरोज पुत्री नन्दराम
8. पतासी देवी पत्नि बाबूलाल
9. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल
10. संती देवी पत्नि नाहरसिंह
11. नाथूसिंह पुत्र नाहरसिंह
12. मनोज पुत्र नाहर सिंह जाति गुर्जर निवासी नीमकाथाना रोड़ किशनगढ़ तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
13. गिरधारी पुत्र सरदारमल
14. हरिराम पुत्र सरदारमल
15. कालूराम पुत्र सरदारमल
16. सजना देवी पत्नि
17. सोनी देवी पुत्र सरदारमल जाति गुर्जर निवासी पीपलोद नाथू तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
18. श्रवण पुत्र भैरू
19. रुड़मल पुत्र भैरू
20. लक्ष्मण पुत्र भैरू

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) ... जिला ... (2)

Scanned with OKEN Scanner

9/2018.

21. अर्जुन पुत्र भैरू
22. रामधन पुत्र भैरू
23. हंसराज पुत्र भैरू
24. रमेश पुत्र भैरू
25. अनिता देवी पुत्री भैरू
जाति गुर्जर निवासी ढाणी पटवारी वाली त्रिवेणी रोड़ वार्ड नं०-25 शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
26. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय- शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

... प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट

=0=

उपस्थिति :-

1. श्री रामनिवास गुर्जर, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामगोपाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक 26/6/18

निर्णय

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद वादीगण की ओर से मय शपथ-पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामनिवास गुर्जर न्यायालय हाजा में दिनांक 13/3/2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 188/0.31, 195/0.16, 197/0.08, 286/0.1 1559/272 रकबा 0.75, 1561/2722 रकबा 0.65, 286/2748 रकबा 0.10 हे० कुल किता 7 रकबा 2.21 हे० वाके मौजा खेरी की राजस्व रिकार्ड में वादीगण के भाई सुरजा पुत्र काना के नाम दर्ज खातेदारी थी, जो दिनांक 12/4/2016 को नाऔलाद फौत हो गया। उक्त मृतक सुरजा ही परिवार में सबसे बड़ा बुजुर्ग व कर्ता खानदान था तथा परिवार की देखरेख व लेनदेन राजकार्य व सामाजिक कार्य

...3.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

9/2018.

भी वही करता था। उक्त आराजी मुतनाजा में मृतक सुरजा के साथ वादीगण एक संयुक्त परिवार में रहते हुए बराबर बराबर काश्त करते आ रहे थे एवं शामिल में काबिज थे। किन्तु मृतक सुरजा ने उक्त संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि को राज्य कर्मचारियों से मिलकर कर्ता खानदान का नाजायज फायदा उठाकर अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाली। जबकि वादीगण के अलावा अन्य किसी दीगर का उक्त आराजी मुतनाजा पर न तो कभी कोई कब्जा काश्त रहा एवं नां ही अन्य कोई हक अधिकार है। पारिवारिक सजरा के मुताबिक वादीगण मृतक खातेदार के सगे भाई एवं जायज वारिसान उक्त आराजी मुतनाजा पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त हैं। पारिवारिक सजरा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मृतक सुरजा की बहिने हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 25 मृतक बहनों के कायम मुकामान व वारिसान हैं। उक्त सभी प्रतिवादीगण का उक्त आराजी मुतनाजा से कोई ताल्लुक वास्ता व लेना देना नहीं है तथा नां ही कभी कब्जा काश्त रहा। बल्कि बहिनों की शादी होने के उपरान्त वे अपने ससुराल में ही रही है। किन्तु अब प्रतिवादीगण उक्त आराजी मुतनाजा में वादीगण से हिस्सा मांगने तथा अपना हक अधिकार होने की धमकी देने तथा वादीगण को बेदखल करने व राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ करके राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की एलानियां धमकी देते हैं। इसलिए वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

2. दावा अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है, जिसे सुनने व तय करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अतः दावा स्वीकार कर वादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम खातेदारी दर्ज करवाई जावे।

3. वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी। दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी।

4. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रामगोपाल कुमावत न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला--जयपुर (राज.)

9/2018.

जवाब दावा प्रस्तुत कर आराजी मुतनाजा का वादीगण को खातेदार
काश्तकार घोषित किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त
की। साथ ही राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण को खातेदार काश्तकार
घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

5. उभयपक्षों की सहमति से बिना कोई अन्य साक्ष्य व शहादत
प्रस्तुत किये सीधी ही बहस समाअत की गई।

6. विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में अपने
वादपत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत रिकार्ड शहादत
व जवाब दावा एवं राजीनामा को इंगित करते हुए वादीगण का
दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की। विद्वान अभिभाषक
प्रतिवादीगण ने भी कोई आपत्ति नहीं की अपितु वादीगण का दावा
स्वीकार कर आराजी मुतनाजा का वादीगण को खातेदार काश्तकार
घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

7. हमने बहस पर गौर किया तथा प्रकरण के तथ्यों तथा
प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात एवं जवाब दावा व राजीनामा का
अवलोकन कर मनन किया।

8. पत्रावली पर प्रस्तुत नकल राजस्व अभिलेख जमाबन्दी
की प्रविष्टियों के अनुसार आराजी मुतदाविया की खातेदारी सुरजा
पुत्र काना कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार राहिन भारतीय स्टेट बैंक
शाखा शाहपुरा मुर्तहीन दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित है।
मुताबिक छाया प्रति मृत्यु प्रमाण-पत्र उक्त अभिलिखित खातेदार
सुरजाराम गुर्जर पुत्र कानाराम की दिनांक 14/5/2016 को मृत्यु
होना तथा उसकी मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत खोरी के द्वारा
जरिये क्रमांक 40/2016 दिनांक 3.10.2016 से जारी कुर्सीनामा के
अनुसार उक्त मृतक खातेदार सुरजाराम गुर्जर पुत्र कानाराम गुर्जर
के वादीगण भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिने तथा बादामी,
नारायणी, प्रभाति बहिने (फौत) तथा छिमादेवी उर्फ नीमलीदेवी
पत्नि (फौत) व मोहरीदेवी मां (फौत) वारिसान एवं कायममुकामान
होने जाहिर होते हैं। मृतक बहिनों के वारिसान एवं कायममुकामान
प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 25 हैं। उक्त सभी प्रतिवादीगण
संख्या 1 लगायत 25 के द्वारा अपने इकबाली जवाब दावा एवं
राजीनामा में वाद तथ्यों को स्वीकार करते हुए आराजी मुतनाजा
की खातेदारी वादीगण के नाम स्वीकार की जाने में अपनी सहमति ...(5)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

9/2018.

जो इनका हक त्याग माना जावेगा। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड व्यक्त की है, जो इनका हक त्याग माना जावेगा। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड शहादत एवं इकबाली जवाब दावा व राजीनामा से वादीगण का वाद बखूबी साबित होता है, जो डिक्री किये जाने योग्य है। चूँकि प्रश्नगत मामले में आराजी मुतदाविया बैंक के रहन दर्ज राजस्व रिकार्ड है और सम्बन्धित बैंक को हस्तगत वादपत्र में आवश्यक पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, इसलिए राहिन के अधिकार सुरक्षित रखना भी हम उचित एवं न्याय संगत समझते हैं।

9. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रतिवादीगण के इकबाली जवाब दावा में की गई स्वीकारोक्ति एवं राजीनामा में व्यक्त की गई सहमति के आधार पर वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 188/0.31, 195/0.16, 197/0.08, 286/0.16, 1559/2721 रकबा 0.75, 1561/2722 रकबा 0.65, 286/2748 रकबा 0.10 है० कुल किता 7 रकबा 2.21 है० वाके मौजा खोरी तहसील शाहपुरा (जयपुर) की खातेदारी में से मरहूम सुरजा पुत्र काना गूजर का नाम कलमजन करके उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा सा० देह का नाम यथावत रहेगी। शाहपुरा के नाम उक्त आराजी मुतदाविया मुतदाविया रहनमुक्त करवाने तथा सम्बन्धित बैंक से उक्त आराजी मुतनाजा रहनमुक्त करवाने तथा अदेय प्रमाण-पत्र (नो ड्यूज प्रमाण-पत्र) वादीगण द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो तथा वादीगण द्वारा डिक्री के निष्पादन हेतु इजरा प्रस्तुत की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 26-6-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(signature)

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

स्थान :– खोरी   दिनांक :– 26-6-2018

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय

उनवान

(1) दीवर (2) जगदीश पि. कानाराम जाति-गुर्जर निवासी- ढाणी बदाना वाली तन खोरी तह. शाहपुरा जिला- जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

(1) कमली देवी पुत्री कानाराम पत्नि मूलाराम (2) सन्ती देवी उर्फ शान्ति देवी पुत्री कानाराम पत्नी प्रभात-गुर्जर नि. मामडोरी तह. शाहपुरा (3) मूलचन्द (4) फूलचन्द (5) पप्पू पुत्र नन्दाराम (6) राजू (7) सरोज पुत्री नन्दाराम (8) मनासी देवी पत्नी बाबूलाल (9) ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल (10) कन्ती देवी पत्नी नाहरसिंह (11) नाहरसिंह (12) मनोज पि. नाहरसिंह-गुर्जर नि. नीमका थाना रोड बिशनगढ़ (13) गिरधारी (14) हरिराम (15) कालूराम पुत्र सरदारमल (16) सजना देवी पत्नी (17) लाली देवी पुत्री सरदारमल-गुर्जर निवासी चीथोड़नाथू (18) भावना (19) रूड़मल (20) लक्ष्मण (21) अर्जुन (22) रामचन्द्र (23) हंसराज (24) रमेश पि. भेरू (25) अनिता देवी पुत्री भेरू-गुर्जर निवासी-ढाणीपटवाली चिमनी रोड़ वार्ड न.25 शाहपुरा जयपुर (26) उपपंजियक शाहपुरा (27) तहसीलदार-तहसील शाहपुरा जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– पुख्ता हस्ताज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 9 / 2018
निर्णय दिनांक :– 26-6-2018

अतः दावा प्रतिवादीगण के हलफाली जवाब दावा में की गई स्वीकारोक्ति एवं राजीनामा की गई सहमति के आधार पर वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर इस आदेश के साथ निर्णित किया जाता है कि आराजी ख.न. 188/0.31, 195/0.16, 197/0.08, 286/0.16, 1559/2721 रकबा 0.75, 1561/2722 रकबा 0.65, 286/2748 रकबा 0-10 हे कुल किता 7 रकबा 2-21 हे. वाके मौजा खोरी तहसील शाहपुरा (जयपुर) की खातेदारी में से मरहूम सूरजा पुत्र काना गुर्जर का नाम खारिज करके उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा के यथावत रहेगी। सम्बंधित बैंक से उक्त आराजी रहनमुक्त करवाने बाबत अदेय प्रमाणपत्र वादी द्वारा प्रस्तुत करने पर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आदेश दिनांक 26-6-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प स्टाम्प पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड	

Scanned with OKEN Scanner